उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

24 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 88/XX–7/2019–01(69)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त समस्त पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) पर लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम–5 के उपनियम (अ) (2), (अ) (2) (ग), (अ) (3) (ख), ब के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
अ(2).	निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरुष/महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत संवर्गवार पदोन्नति परीक्षा द्वारा।	निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरुष/महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं सशस्त्र पुलिस के आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत विभागीय पदोन्नति परीक्षा द्वारा।
अ(2)(ग).	विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।	अ(2)(ग). विगम 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
	टिप्पणी:–जहाँ विद्यमान नियमों से उप निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
अ(3)(ख).- विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।	अ(3)(ख).- विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा। टिप्पणी:–जहाँ विद्यमान नियम से उप निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
ब. निरीक्षक–उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 10 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो।	ब. निरीक्षक–उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। टिप्पणी:–जहाँ विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किए जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट (5) के भाग (घ) तथा (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 *विद्यमान परिशिष्ट*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट*
(घ) सेवा अभिलेख 50 अंक (1) कोर्स 10 अंक अधिकतम (क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स– 02 अंक (ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स– 04 अंक (ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स– 06 अंक (घ) 01 माह से अधिक का कोर्स– 08 अंक (जिसमें बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नहीं की जायेगी।)	(घ) कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से किया जायेगा। आरक्षी/मुख्य आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किए जायेंगे:– (1) कोर्स (10 अंक अधिकतम) (क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स– 02 अंक (ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स– 04 अंक (ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स– 06 अंक (घ) 01 माह से अधिक का कोर्स– 08 अंक

स्तम्भ–1 *विद्यमान परिशिष्ट*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट*
(I) बेसिक कोर्स के अन्तर्गत निम्नलिखित कोर्स रखें जायेंगे– 1. कान्स0 का आधारभूत प्रशिक्षण, 2. मुख्य आरक्षी पदोन्नति कोर्स, 3. ड्राइवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो गनर कोर्स, आईटीआई–पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण, सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स। 4. उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/ प्रशिक्षण, जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किए जाने अनिवार्य हों। (II) किसी तकनीकी पद जैसे बम डिस्पोजल स्क्वायड, आरमोरर, बिगुलर, चालक इत्यादि पद पर चयन होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार प्रदान किए जायेंगे। (ङ) ऋणात्मक अंक : (1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिए 05 अंक की कटौती होगी। (2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 'प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य' पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। (3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी। (4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी। (5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।	(ङ) ऋणात्मक अंक : (1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/ दीर्घ दण्ड के लिए 05 अंक की कटौती होगी। (2) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी। (3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

नियम 21 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 21 के उप नियम (2) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
(2)(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उप निरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के 50% को जोड़कर संवर्गवार तैयार की जायेगी।	(2)(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उप निरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने–अपने संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% को जोड़कर संवर्गवार तैयार की जायेगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।